फर्द अहकाम

अज अदालत संभागीय आयुक्त, जोधपुर

मोहनगिरी पुत्र मोडगिरी बनाम हीराराम पुत्र मोतीराम वगैराह

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 73(2) राज0 नगरपालिका अधिनियम निगरानी संख्या 97/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.07.2025	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं है। प्रार्थी के अधिवक्ता एवं प्रार्थी को न्यायालय हाजा में सुनवाई हेतु उपस्थित होने बाबत तीन बार आवाजे लगवाई गई। परन्तु न तो प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित हुए और न ही प्रार्थी स्वयं उपस्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित है। पत्रावली में न्यायालय समय तक प्रार्थी के अधिवक्ता का इन्तजार किया गया परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित हुए है। ऐसे में उक्त निगरानी को और विचाराधीन रखा जाना उचित नहीं रहेगा। अतः उपरोक्त विचाराधीन निगरानी प्रकरण को प्रार्थी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अदम पैरवी एवं अदम हाजरी में खारिज की जाती है। पत्रावली बाद निस्तारण दर्ज रजिस्टर नम्बर से कम की जावें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड आदेशिका की प्रति सहित लौटाया जावें। **सम्भागीय आयुक्त,** **जोधपुर**	

फर्द अहकाम

अज अदालत संभागीय आयुक्त, जोधपुर

मोहनगिरी पुत्र मोडगिरी बनाम हीराराम पुत्र मोतीराम वगैराह

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 75, राज0 भू राजस्व अधिनियम अपील संख्या 97/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.08.2025	पत्रावली आज पेश हुई। इस राजस्व अपील पत्रावली में पारित आदेश दिनांक 16.07.2025 का अवलोकन किया गया। आदेश के अनुसार प्रार्थी के अधिवक्ता के उक्त दिनांक 16.7.2025 को अनुपस्थित रहने के कारण उक्त निगरानी प्रकरण को प्रार्थी के अधिवक्ता की अनुपस्थिती में अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज की गई है। उक्त आदेश के प्रथम पैरा में लाईन संख्या 07 से 09 में यह अंकित है कि ''पत्रावली में न्यायालय समय तक प्रार्थी के अधिवक्ता का इन्तजार किया गया परन्तु प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित हुए है।'' जो सहवन से टंकित हो गया है, जिसे दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः पूर्व आदेश दिनांक 16.07.2025 के प्रथम पैरा में लाईन संख्या 07 से 09 में ''पत्रावली में न्यायालय समय तक प्रार्थी के अधिवक्ता का इन्तजार किया गया परन्तु प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित हुए है।'' के स्थान पर ''पत्रावली में न्यायालय समय तक प्रार्थी के अधिवक्ता का इन्तजार किया गया परन्तु प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए है।'' अंकित कर उक्त आदेश दिनांक 16.07.2025 संशोधित किया जाता है। शेष आदेश यथावत रहेगा। संशोधित आदेश को मूल आदेश का अंग माना जायें। **सम्भागीय आयुक्त,** **जोधपुर**	